संख्या-86/2020/2922/22-2-2019-17(50)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र पुत्र श्री सकरू, निवासी-जिला-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-26.09.2019) दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र पुत्र श्री सकरू, जो-संसडा, थाना-महोली जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2003 को भाई के साथ मिलकर अपने भाई की पत्नी को बांके से मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-625/2003 धारा 302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत पंचम् अपर जिला एवं सत्रन्यायाधीश सीतापुर के आदेश दिनांक 25.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, परन्तु पुलिस अधीक्षक, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध (हत्या) जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र-63 वर्ष, पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मूलचन्द्र (बंदी संख्या-41342) पुत्र श्री सकरू, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-86/2020/2922(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in